न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 18/2024

आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16 वीं, प्लॉट नं0 बी–23, थाणे इन्डस्ट्रीयल एरिया वागले एस्टेट, थाणे– 400604 मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय: 4 जी फलोर, विनायक हाईटस, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज0 302021 जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र पाराशर।

...प्रार्थी कंपनी/सिक्योर क्रेडिटर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपी निवासी तेखदान की ढाणी, धूलकोट तहसील सिकरायस जिला दौसा–303509 अन्य पता आवासीय प्लॉट खसरा नं0 11 में से ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा–303509 (ऋणी)
2. श्रीमती राधा देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश निवासी तेखदान की ढाणी, धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा–303509 अन्य पता आवासीय प्लॉट खसरा नं0 11 में से ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा–303509 (सह ऋणी)

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थिति : श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0होम फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 5,46,801/–(रूपये पांच लाख छियालीस हजार आठ सौ एक मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0होम फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0होम फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट खसरा नंबर 11 में से कुल एरिया 839 वर्गफीट ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जो कि श्रीमती राधादेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0होम फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन [illegible] प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस [illegible] कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:51:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा